प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वागीश पुत्र श्री परशुराम, निवासी-जनपद-औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वागीश पुत्र श्री परशुराम, निवासी ग्राम-दखलीपुर, थाना-फफूंद, जनपद-औरैया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा बेरी काटकर रास्ते में डाले जाने के विवाद को लेकर दिनांक 06-01-2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी, धारिया, लाठी व डण्डा से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-64/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 प्रथम, औरैया द्वारा दिनांक 11-08-2009 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.9.2015 तक 09 वर्ष 07 माह 22 दिन की अपरिहार एवं 11 वर्ष 07 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के रिहा होने पर फसाद होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की आयु 38 वर्ष है, पुन: अपराध करने में अशक्त नही है, तथा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी वागीश (बन्दी) संख्या-15991) पुत्र श्री परशुराम, निवासी जनपद- औरैया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-239/2016/251/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in